कार्यकारी आदेश 2020-71
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 67)

जबकि: मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 550,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसके 10,500 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि: इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं का दावा है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र क्षति रोग है जो श्रेण संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है और यह कि अभी-भी इसका कोई भाभी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों और सरकारों पर जो बीढ़ पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि: हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि: सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपयोग बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कारण घुसने की आवश्यकता और प्रभावीता की ओर संकेत करता है, और यह सक्षम देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोखिम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोखिम की तुलना में कम है; और,

जबकि: सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही पर्यायों में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

जबकि: जैसे राज्यपालीय आपदा उद्धोषणाओं (युवबनेटीयल डिजास्टर प्रोकोमोशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ महीने में वाइरस का प्रसार का मार्ग का होगा इसका सप्तपूर्ण उपचार अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि: 10,500 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मूल्य देने एवं दस्तियों हजारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक अधिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राज्य एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आधिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,
जबकि, 13 नवंबर, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अंतर्गत खुले रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा अग्रमी महत्त्वों में जो लगातार हो रहे सार्वजनिक संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनके उन्मत विवाद करते हुए, मैं इल्नाय के कारण की सभी कार्यालयों की आपदा एवं गंभीर घटना किया था। और,


अतः: इल्नाय के प्रभाव के रूप में मुख्य दफाओं निहित शक्तियों द्वारा, और इल्नाय के संविधान एवं इल्नाय आपातकाल प्रभाव अधिकार अधिनियम (इल्नाय मेमरजेस इमेजेंट एजेंसी एंट्रेट), 20 ILCS 3305 के अनुसार 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसार में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुसार, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ, जो नवंबर 13, 2020 से प्रभावी हैं:

भाग 1: सरकारी आदेशों का पुन: जारी किया जाना।

कार्यकारी आदेश 2020-04 जेम्स एयर, थॉमप्सन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना: राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी की चुरी की आवश्यकता का अधिकार।

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुसार 2, 3 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 को बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में लिखित कुछ भी केंद्रीय प्रभाव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ टेंट मेनेजमेंट वर्च्युअल) को राज्य कर्मचारियों, वृक्षयों कार्यों में भाग लेने वाली आप इज़िल, और अन्य नियम संबंधी दिशानिर्देश के नियम प्राप्त हैं, के लिए जेम्स एयर, थॉम्पसन केंद्र में प्रेवेश और नियोजन के विषयें विवाह निर्दिष्ट करने तथा यातायात नियोजित करने से बजित नहीं करता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को फिर से जारी और 12 दिसंबर, 2020 को बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-08 (घरेलू संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑपरेशंस)): कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 3, 4 और 5 को फिर से जारी और 12 दिसंबर, 2020 को बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दुर्भाग्य स्वास्थ्य (टेस्टिंगल्ट्स)): कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपने संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 को बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (इल्नाय सूचार विभाग (इल्नाय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस) अधिशक्तिः अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 को बढ़ाया जाता है।
कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पुढ़ेभूमि जांच: इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस) अधिरचना अवधि)

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुमागों 1, और 3 को पूर्ण जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (इलिनॉय स्कूल कोड) के प्राधिकृतों का स्थान):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुमागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पूर्ण: जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थान):

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुमाग 2 पूर्ण: जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2017 (भाग (केनाबिस) की समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पूर्ण: जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्देश किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता औपचारिकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पूर्ण: जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ करेंट्स) के कैड्रियों का थोड़े दिनों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पूर्ण: जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 (बाल देखभाल अधिनियम 1969 के अंतर्गत लोकसेवर: स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पुढ़ेभूमि जांच अधिनियम के अंतर्गत अंतःलिंगों के निर्धारणों की प्रस्तुतियाँ):

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुमागों 4, 5, और संचय खंड (वेबसिट्स क्लास) को पूर्ण: जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संता लाइनस्थित पेशेवरों के लिए इलिनॉय विचारी एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेशनल एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्यक्रम):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पूर्ण: जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग विचित्र किंवतासाध्यार उपचार कार्यक्रम (डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सेविंग्स एंड मीडिकल प्रोग्राम): इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सेविंग्स) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल):

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पूर्ण: जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-25 (कणानुबंध (गारनिशनमेंट) एवं वेतन कटौतियाँ):
कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):
कार्यकारी आदेश 2020-26 के अनुसार 2(e), 6, 7, 8, 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए शव):
कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):
कार्यकारी आदेश 2020-28 के अनुभागों 2(e), 6, 7, 8, 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैधता के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):
कार्यकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-30 (कालातीत वाणिज्यदूतावास-संबंधी पहचान दातावेज: इलेक्ट्रॉन मानवाधिकार आयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):
कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, 6 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग (के नाबस) संबंधी आवेदनाएं):
कार्यकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलेक्ट्रॉन विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमांक गतिविधियाँ, इलेक्ट्रॉन डिपार्टमेंट ऑफ पैलिटि हेल्थ रेगुलेटरी एडिटरियल):
कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16, और 17 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुमोदन (लाइसेंस)):
कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):
कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2, और 4 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):
कार्यकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।
कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):
कार्यकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):
कार्यकारी आदेश 2020-55 और कार्यकारी आदेश 2020-59 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-43 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-45 भांग (केनाबिस) के लाइसेंस:
कार्यकारी आदेश 2020-47 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 के इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (कैंसर के लाइसेंस):
कार्यकारी आदेश 2020-53 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-56 (कैंसर (केनाबिस) के पहचान पत्र):
कार्यकारी आदेश 2020-57 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-60 (कैंसर 5 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-61 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-62 (कैंसर 7 और 8 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-63 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।
कार्यकारी आदेश 2020-63 (क्षेत्र 4 और 10 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-63 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-64 (क्षेत्र 11 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-64 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-65 (क्षेत्र 9 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-65 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-66 (क्षेत्र 3 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-66 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-67 (क्षेत्र 6 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-67 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-68 (भाग (केनाबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र के नवीकरण):
कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-69 (क्षेत्र 2 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-69 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-70 (क्षेत्र 5, 7 और 8 टिप्पणी 2 शमन):
कार्यकारी आदेश 2020-70 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: संचय खंड (सेविंग क्लोज)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी स्वास्थ्य या परिस्थिति के लिए स्थायी व्यक्तियों के स्थल के लिए स्थायी या अन्य स्थल के लिए स्थायी होता है, तो यह अवधारित किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को स्वीकार करनी है, जिसे ब्याख्याता किसी भी अन्य प्रावधान के से अवधारित किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथककरणीय पोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा नवंबर 13, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा नवंबर 13, 2020 को ढापर